राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण राजस्थान जयपुर)

क्रमांकः– एफ3( )/आजभूसं/लेखा/विविध/2019–20/15475-524 दिनांकः–12/06/2019

परिपत्र

विषयः– बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों की अनुपालना के सम्बंध में।

आपके कार्यालय एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों में महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर/निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर के विशेष जॉच, आन्तरिक जॉच एवं भण्डार के भौतिक सत्यापन के निरीक्षण प्रतिवेदनों/स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर के विशेष जॉच के निरीक्षण प्रतिवेदनों/विभागीय आन्तरिक जॉच दल के निरीक्षण प्रतिवेदनों में लम्बे समय से अनुच्छेद बकाया चल रहे है। आपको निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की तथ्यपरक एवं सप्रमाण अनुपालना प्रेषित करने के लिए अनवरत लिखा जाता रहा है, इसके उपरान्त भी आपके द्वारा आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों/आक्षेपों की तथ्यपरक एवं सप्रमाण अनुपालना प्रेषित नही की जा रही है या पूर्व में प्रेषित अनुपालना की छाया प्रति पुनः प्रेषित कर दी जाती है। आपके द्वारा प्रस्तुत अनुपालना के साथ सुस्पष्ट एवं पठनीय दस्तावेज जैसे निर्माण कार्यो के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यो के मदवार प्राप्ति एंव व्यय राशि का विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, Exit Protocol कार्यवाही विवरण, राशि वसूली के चालान की प्रति/रसीद, रिकॉर्ड संधारण के प्रमाण की छाया प्रति, बैंक रिकन्सीलेशन के प्रमाण की प्रति एवं आक्षेप की अनुपालना से सम्बधित अन्य आवश्यक दस्तावेज की प्रति संलग्न नहीं करने के कारण अनुच्छेदों का निस्तारण नहीं हो पाता है। जिससे निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों/आक्षेपों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों/आक्षेपों की तथ्यपरक एवं सप्रमाण अनुपालना नही किये जाने को वित्त विभाग, महालेखाकार राजस्थान, जयपुर एवं राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी ने गम्भीरता से लिया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप आपने कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयो में महालेखाकार राजस्थान जयपुर के निरीक्षण प्रतिवेदनों/निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर के विशेष आन्तरिक जॉच एवं भण्डार के भौतिक सत्यापन के निरीक्षण प्रतिवेदनों/स्थानीय निधी एवं अकेक्षण विभाग,राजस्थान जयपुर के विशेष जॉच के निरीक्षण प्रतिवेदनों/ विभागीय आन्तरिक जॉच दल के निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों/आक्षेपों की सुस्पष्ट तथ्यपरक एवं सप्रमाण अनुपालना प्रेषित कराना सुनिश्चित करावें। अनुपालना के साथ पठनीय सपोर्टिंग दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करावें।

Sd.
(आर.के.शर्मा)
आयुक्त

F: /Accounts-2019/AO SIR/ LATTER

क्रमांकः– एफ3( )/आजभूसं/लेखा/विविध/2019–20/15475-524 दिनांकः– 12/06/2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, वित्त(अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर
5. निजी सचिव, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण , जयपुर।
7. अतिरिक्त निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रशासन, IWMP, MJSA, मूल्यांकन प्रशिक्षण, स्टोर, बन्द योजनाऐं, नीरांचल) आयुक्तालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।
9. समस्त अधीक्षण अभियंता एवं पदेन परियोजना प्रबंधक को प्रेषित कर लेख है कि इस परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।
10. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी–प्रथम (ऑडिट) आयुक्तालय जयपुर।
11. एसीपी (कम्प्यूटर अनुभाग) आयुक्तालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस परिपत्र का प्रकाशन विभाग की वेबसाइट पर करने एवं समस्त अधीक्षण अभियंता एवं पदेन परियोजना प्रबंधक को ई–मेल करने का कष्ट करें।
12. रक्षित पत्रावली।

(आर.एल.परसोया)
वित्तीय सलाहकार

F: /Accounts-2019/AO SIR/ LATTER